

[2024] 10 एस.सी.आर 930 : 2024 आई.एन.एस.सी. 819

केंद्रीय जांच ब्यूरो

वी.

अशोक सिरपाल

(2024 की आपराधिक अपील संख्या 4277)

24 अक्टूबर 2024

[न्या. अभय एस. ओका और न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह]

विचार के लिए मुद्दा

मामला उच्च न्यायालय द्वारा कारावास की सजा को निलंबित आदेश और आरोपी पर लगाए गए जुर्माने को चुनौती देने से संबंधित है, जिसे रुपये के गबन के लिए दोषी ठहराया गया था। 46 लाख।

हेडनोट्स

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - एस.389 - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 - अनु.430 - दंड संहिता, 1860 - के दशक। 64 - भारतीय न्याय संहिता, 2023 - एस. एस.4 और 8 (2)-अपीलकर्ता लंबित रहने तक सजा का निलंबन; दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 2 करोड़ रुपये के गबन के लिए दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए जमानत-प्रतिवादी-आरोपी को रिहा करना। 46 लाख और सात साल के लिए कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा। 95,00,000-और जुर्माना देने में चूक करने पर, 21 महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना पड़ा-हालाँकि, उच्च

न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा रुपये की राशि में व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर सजा को निलंबित कर दिया। 50, 000/- एक मुचलके के साथ-सही:

आयोजित किया गया: एक अभियुक्त को दोषी ठहराते समय, यदि उसके खिलाफ जुर्माना देने का निर्देश जारी किया जाता है, तो इस तरह के निर्देश को उप-धारा (1) के तहत शक्ति के प्रयोग में निलंबित किया जा सकता है। 389-जब भी जुर्माने की सजा के निलंबन के लिए कोई अनुरोध किया जाता है, तो अपील न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जुर्माने की सजा को बिना शर्त या शर्तों के अधीन निलंबित किया जा सकता है-हालाँकि, न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि यदि जुर्माने की सजा को निलंबित करते समय किसी राशि को जमा करने की शर्त लगाई जाती है, तो वह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपीलकर्ता के लिए इसका पालन करना असंभव हो-ऐसी शर्त दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील करने के उसके अधिकार को विफल करने के बराबर हो सकती है, जो आक्षेपित आदेश के तहत उसके अधिकारों का भी उल्लंघन कर सकती है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी की सजा रुपये की राशि में व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने के अनुपालन के अधीन अपील की सुनवाई तक निलंबित है। 50, 000/- उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि प्रतिवादी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कथित गबन रु। विशेष अदालत ने प्रतिवादी को 46 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई थी। 95 लाख-प्रत्यर्थी पर लगाई गई सजा कारावास और जुर्माने के भुगतान दोनों की थी-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि जुर्माने की सजा निलंबित नहीं थी-कुल सजा, जिसमें मूल सजा और जुर्माने की चूक में सजा शामिल है, आठ साल और नौ महीने के लिए कारावास होगी-एकल न्यायाधीश द्वारा विचाराधीन आपराधिक अपीलों की भारी

विचाराधीनता को ध्यान में रखते हुए और सीमित अवधि की सजा पर विचार करते हुए, विवादित आदेश में गलती खोजना संभव नहीं है-इसलिए, विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया, विशेष रूप से जब प्रत्यर्थी ने इस अदालत में Rs.15 लाख की राशि जमा की, जो जुर्माने की सजा को निलंबित करने की शर्त के रूप में माना जाना चाहिए। [पारस 6-10]

मामला कानून उद्धृत किया गया

सत्येंद्र कुमार मेहरा बनाम झारखंड राज्य [\[2018\] 4 एससीआर 1033](#) : (2018) 15 एससीसी 139-को संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय न्याय संहिता, 2023; परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881।

मुख्य शब्दों की सूची

कारावास और जुर्माने की सजा को निलंबित करना; गबन; सात साल के लिए कठोर कारावास; Rs.95,00,000/- का जुर्माना देने की सजा; व्यक्तिगत मुचलका जमा करना; सजा का निलंबन; राशि जमा करना; पर्याप्त सजा; निश्चित जमा।

मामला सामने आ रहा है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: 2024 दाण्डिक अपीलीय सं 4277

2016 डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के सी. आर. एल. एम. बी. संख्या 948 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.09.2016 के निर्णय और आदेश से

दलों के लिए उपस्थिति

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, संजय कुमार त्यागी, वीर विक्रान्त सिंह, शरत नांबियार, नलिन कोहली, अनुज श्रीनिवास उडुप्पा, परांतप सिंह, अधिवक्ता। अपीलकर्ता के लिए।

दामा शेषाद्री नायडू, वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल गुप्ता, दीपक शर्मा, सुश्री शिवानी रेड्डी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

फैसला

न्या. अभय एस. ओका,

वास्तविक पहलू

1. इस अपील में जो तथ्यात्मक विवाद उत्पन्न होता है, वह बहुत सीमित है। प्रतिवादी-अभियुक्त नं.2, विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. (पी. सी. अधिनियम), कड़कड़ूमा न्यायालय, पूर्वी जिला, दिल्ली द्वारा 27 जनवरी 2016 को पारित निर्णय और आदेश द्वारा, भारतीय दंड संहिता की खंड 120 बी के साथ पठनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था (संक्षेप में, 'भा.दं.सं. सी.') और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 (1) (डी) और 13 (2) (संक्षेप में, 'पी. सी. अधिनियम')। उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें Rs.95,00,000/- का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें 21 महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया। मूल सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। प्रतिवादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की। याचिका स्वीकार कर ली गई। 29 सितंबर 2016 के विवादित आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च

न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी द्वारा Rs.50,000/- की राशि में व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर सजा को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें विद्वत विचारण न्यायाधीश की संतुष्टि के अधीन इतनी ही राशि की एक जमानत थी। प्रतिवादी पर निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की एक और शर्त लगाई गई थी।

2. 19 मार्च 2018 को नोटिस जारी करते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“ देरी को माफ कर दिया गया।

याचिकाकर्ता - सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी ने जुर्माना जमा नहीं किया है। प्रस्तुतिकरण दर्ज किया जाता है।

नोटिस जारी करें”।

- 8 अगस्त 2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

“प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, निर्देशों पर कहते हैं कि प्रत्यर्थी आज से तीन महीने के भीतर इस न्यायालय में Rs.15 लाख की राशि जमा करेगा।

केवल इस कथन को ध्यान में रखते हुए, हम इस याचिका को बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध होने के लिए 21.11.2023 तक स्थगित करते हैं।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि जमा करने में विफलता पर, प्रतिवादी को जमानत देने का आदेश रद्द किया जा सकता है।

जब भी उक्त राशि जमा की जाएगी, पंजीकरण इसे स्वतः नवीनीकरण सुविधा के साथ ब्याज वाली जमा में निवेश करेगी।”

उक्त आदेश के संदर्भ में, प्रत्यर्थी ने Rs.15,00,000/- की राशि जमा की है, जिसे इस न्यायालय के आदेश के तहत एक सावधि जमा में निवेश किया गया है।

प्रस्तुतियाँ

3. भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने बताया कि विशेष अदालत द्वारा प्रतिवादी और सह-अभियुक्त के खिलाफ निष्कर्ष यह है कि लगभग Rs.46,00,000/- की राशि का गबन किया गया था। उन्होंने बताया कि विवादित आदेश के तहत जो निलंबित किया गया है वह 7 साल की मूल सजा है। चूंकि प्रतिवादी ने रुपये की कुल जुर्माना राशि में से केवल Rs.15,00,000/- की राशि का भुगतान किया है। 95,00,000/- और चूंकि जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश विवादित आदेश के तहत निलंबित नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिवादी को जुर्माने का भुगतान न करने पर दी गई सजा से गुजरने के लिए हिरासत में लेना होगा। विद्वान ए. एस. जी. ने [सत्येंद्र कुमार मेहरा बनाम झारखंड राज्य](#) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। 'उन्होंने इस न्यायालय को दी गई व्याख्या की ओर इशारा किया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 357 (संक्षेप में, 'दंड प्रक्रिया संहिता')। उन्होंने उक्त निर्णय के अनुच्छेद 36 में जो कहा गया

है उस पर भरोसा किया। उन्होंने आग्रह किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 389 द्वारा दिए गए जुर्माने को बिना किसी शर्त के निलंबित करने की शक्ति है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश में यह दर्ज नहीं है कि जुर्माने के आदेश को निलंबित कर दिया गया है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश प्रतिवादी को जुर्माने के भुगतान में चूक में सजा के प्रवर्तन से बचने में मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि, किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय Rs.95,00,000/- के जुर्माने के भुगतान का निर्देश देने वाले आदेश पर बिना शर्त रोक नहीं लगा सकता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक विवादित आदेश पारित नहीं किया गया था, तब तक प्रतिवादी को केवल लगभग 8 महीने के लिए जेल में रखा गया था।

4. प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षार्थी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नायडू ने कहा कि जुर्माने की सजा सहित पूरी सजा को विवादित आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मूल सजा और जुर्माने की चूक में सजा सीमित अवधि की सजा है। चूंकि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर निकट भविष्य में सुनवाई होने की संभावना नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने सजा को उचित रूप से निलंबित कर दिया है।

प्रस्तुतियों का समावेश

5. दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 389 इस प्रकार है:

“389. अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन; अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना। - (1) किसी दोषी व्यक्ति द्वारा किसी भी अपील को लंबित रखते हुए, अपील न्यायालय, उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले

कारणों के लिए, आदेश दे सकता है कि उसके खिलाफ अपील की गई सजा या आदेश के निष्पादन को निलंबित किया जाए और साथ ही, यदि वह कारावास में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाए:

बशर्ते कि अपील न्यायालय, जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा करने से पहले, एक दोषी व्यक्ति जो मौत या आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है, लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के खिलाफ लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर देगा:

बशर्ते कि उन मामलों में जहां एक दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाता है, लोक अभियोजक के लिए जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए खुला होगा।

(2) इस खंड द्वारा किसी अपील न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी दोषी व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में अपील के मामले में भी किया जा सकता है।

(3) जहाँ दोषी व्यक्ति उस न्यायालय को संतुष्ट करता है जिसके द्वारा वह दोषी ठहराया गया है कि वह एक अपील प्रस्तुत करने का इरादा रखता है, तो न्यायालय -

(i) जहां ऐसे व्यक्ति को जमानत पर होने के कारण तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, या

(ii) जहां वह अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषी ठहराया गया है, वह जमानतीय है और वह जमानत पर है,

आदेश दें कि दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए, जब तक कि जमानत से इनकार करने के लिए विशेष कारण न हों, ऐसी अवधि के लिए जो अपील प्रस्तुत करने और उप-धारा (1) के तहत अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दे; और कारावास की सजा, जब तक वह जमानत पर रिहा है, तब तक निलंबित मानी जाएगी।

(4) जब अपीलकर्ता को अंततः एक अवधि के लिए कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो जिस समय के दौरान उसे इस तरह रिहा किया जाता है, उसे उस अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे इस तरह की सजा सुनाई गई है।”

दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 389 के तहत सजा के निलंबन की शक्ति (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की खंड 430 के अनुरूप) अपील न्यायालय में निहित है जो दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा है। उप-धारा (1) के एक सादे पठन पर, अपील न्यायालय के पास किसी सजा या आदेश के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति है जिसके खिलाफ अपील की गई है। यदि अपीलार्थी/अभियुक्त कारावास में है, तो अपील के अंतिम निपटारे तक

उसे जमानत पर रिहा करने की शक्ति अपील न्यायालय में निहित है। खंड 389 की उप-खंड (1) के पहले परंतुक द्वारा कवर किए गए अपराधों के मामले में, किसी दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से पहले लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के खिलाफ लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर देने का आदेश है। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रत्यर्थी पर लगाई गई मूल सजा सात साल के लिए कठोर कारावास है। इसके अलावा, Rs.95,00,000/- का जुर्माना देने का निर्देश है। भा.दं.सं. सी. के अध्याय III में खंड 53 में पाँच प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है:

“53. "सजाएँ"। - इस संहिता के प्रावधानों के तहत जिन दंडों के लिए अपराधी उत्तरदायी हैं, वे हैं -

पहली- मौत।

दूसरा-आजीवन कारावास;

तीसरा-[* * *];

चौथा-कारावास, जो दो विवरणों का है, अर्थात्:-

(1) कठोर, अर्थात् कठोर परिश्रम के साथ;

(2) सरल;

पाँचवाँ-संपत्ति की ज़ब्ती;

छठा-ठीक।”

खंड 64, जो उसी अध्याय III का एक हिस्सा है, इस प्रकार पढ़ती है:

“64. जुर्माने का भुगतान न करने के लिए कारावास की सजा- प्रत्येक मामले में, कारावास के साथ-साथ जुर्माने से दंडनीय अपराध, जिसमें अपराधी को जुर्माने की सजा दी जाती है, चाहे वह कारावास के साथ हो या बिना कारावास के,

और कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के प्रत्येक मामले में, जिसमें अपराधी को जुर्माने की सजा दी जाती है,

यह न्यायालय के लिए सक्षम होगा जो ऐसे अपराधी को सजा सुनाता है कि वह सजा के माध्यम से यह निर्देश दे कि जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ेगा, जो कारावास किसी अन्य कारावास से अधिक होगा जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई होगी या जिसके लिए वह सजा के परिवर्तन के तहत उत्तरदायी हो सकता है।

(जोर दिया गया)

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 4 और 8 (2) संबंधित धाराएँ हैं। भा.दं.सं. सी. की खंड 64 में 'अपराधी को जुर्माने की सजा' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, जुर्माना खंड 53 में दिए गए पांच दंडों में से एक है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दोषी अभियुक्त के खिलाफ जारी जुर्माना देने का निर्देश भी एक सजा है। खंड 64 के तहत, अदालत को यह निर्देश देने का अधिकार है कि जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर अपराधी को एक विशिष्ट अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ेगा जैसा कि उसमें निर्देश दिया गया है।

अतः जुर्माने की सजा हो सकती है और जुर्माने की सजा का पालन न करने पर एक और सजा हो सकती है।

6. पैराग्राफ नं.36 सत्येंद्र कुमार मेहरा के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बारे में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“36. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपील न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 389 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बिना किसी शर्त या शर्तों के कारावास के साथ-साथ जुर्माने की सजा को निलंबित कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 389 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय अपील न्यायालय की शक्ति पर कोई बंधन नहीं है। अपीलीय अदालत सजा और जुर्माना दोनों को निलंबित कर सकती थी या जुर्माना या जुर्माने के हिस्से को जमा करने का निर्देश दे सकती थी।

इस प्रकार, किसी अभियुक्त को दोषी ठहराते समय, यदि उसके खिलाफ जुर्माना देने का निर्देश जारी किया जाता है, तो इस तरह के निर्देश को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 389 की उप-खंड (1) के तहत शक्ति के प्रयोग में निलंबित किया जा सकता है।

7. विवादित आदेश पर वापस आते हुए, इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी की सजा Rs.50,000/- की राशि में व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने के अनुपालन के अधीन अपील की सुनवाई तक निलंबित है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि प्रतिवादी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कथित गबन <ID2,00,000/- के बराबर था, विशेष अदालत ने प्रतिवादी को <ID1,00,000/- का जुर्माना देने की

सजा सुनाई थी। आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी को दी गई सजा कारावास और जुर्माना दोनों की थी। इसलिए, विवादित आदेश के एक सादे पठन पर, विद्वान ए. एस. जी. का तर्क कि जुर्माने की सजा को निलंबित नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

8. सजा को निलंबित करते समय, विशेष रूप से जुर्माने की सजा, अपील न्यायालय शर्तें लगा सकता है। जुर्माने की सजा के निलंबन का आदेश सशर्त होना चाहिए या बिना शर्त, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और विशेष रूप से अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब मामले के तथ्यों के आधार पर, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की खंड 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी आरोपी को दोषी ठहराते समय जुर्माने की सजा दी जाती है, तो अपील न्यायालय एक शर्त लगा सकता है सजा को निलंबित करते समय जुर्माने की राशि या उसका कुछ हिस्सा जमा करना। हालाँकि, भा.दं.सं. सी. और संज्ञेय विधानों के तहत दंडनीय अपराधों के मामले में न्यायालय का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। जब भी जुर्माने की सजा के निलंबन के लिए कोई अनुरोध किया जाता है, तो अपील न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जुर्माने की सजा को बिना शर्त या शर्तों के अधीन निलंबित किया जा सकता है। हालाँकि, न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि यदि जुर्माने की सजा को निलंबित करते समय किसी राशि को जमा करने की शर्त लगाई जाती है, तो वह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपीलकर्ता के लिए इसका पालन करना असंभव हो। ऐसी शर्त दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील करने के उसके अधिकार को विफल करने के बराबर हो सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकारों का भी उल्लंघन कर सकती है।

9. मामले के तथ्यों में, कुल सजा, जिसमें मूल सजा और जुर्माने की चूक में सजा शामिल है, आठ साल और नौ महीने के लिए कारावास होगी। एकल न्यायाधीश द्वारा विचारणीय आपराधिक अपीलों की भारी विचाराधीनता को ध्यान में रखते हुए और सीमित अवधि की सजा पर विचार करते हुए, 29 सितंबर 2016 को पारित किए गए विवादित आदेश में दोष खोजना संभव नहीं है।
10. इसलिए, विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से जब प्रतिवादी ने रुपये की राशि जमा की है। 15,00,000- इस न्यायालय में। रुपये की जमा राशि। 15,00,000/- को जुर्माने की सजा को निलंबित करने की शर्त के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, अपील का निपटारा उपरोक्त संशोधन के साथ किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा जमा की गई Rs.15,00,000/- की राशि पंजीकरण द्वारा सावधि जमा में निवेश की गई है। मौजूदा सावधि जमा की परिपक्वता के तुरंत बाद, पंजीकरण रुपये की राशि हस्तांतरित करेगी। 15,00,000-दिल्ली उच्च न्यायालय को उस पर उपार्जित ब्याज के साथ। उच्च न्यायालय दाण्डिक अपीलीय के निपटारे तक उक्त राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में उचित सावधि जमा में निवेश करेगा। राशि के वितरण/निकासी और उस पर उपार्जित ब्याज के संबंध में आदेश अपील के अंतिम निपटान के समय पारित किया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील का निपटारा किया गया।

**द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:* निधि जैन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*